प्रति,

माननीय कलेक्टर महोदय,
कलेक्टर कार्यालय इंदौर (म.प्र.)

विषयः न्याय विभाग कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या. इन्दौर एवं सहकारिता विभाग इंदौर से माननीय न्यायालय उपभोक्ता फोरम के आदेश के बावजूद तय कीमत व तय साईज का प्लाट नही देने बाबत।

संदर्भः— माननीय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम कंमाक—। जिलापीठ इंदौर (म. प्र.) के आदेश दिनांक 11.06.2019।

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि मै गोविन्द राठौर पिता स्वं नंदकिशोर राठौर, न्याय विभाग कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या. इन्दौर ,न्यायालय प्रांगण , एम.जी. रोड इन्दौर वर्तमान पता न्याया नगर एक्सटेंशन मालवीय पेट्रोल पंप के पीछे ए.बी.रोड इंदौर का वर्ष 1994 से सदस्य हू। मेरा सदस्यता कंमाक 734 —ए है। **मेरे द्वारा सदस्यता ग्रहण करते समय संस्था ने मुझे 40 फिट बाय 50 फिट का भुखण्ड मय रजिस्ट्री के रूपये 1,00,000/—(अक्षरी रूपये एक लाख मात्र) देना था, जिसमें से मैनें रूपये 50000/—(अक्षरी रूपये पचास हजार मात्र) जमा किये थे, परन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक मुझे ना तो भूखण्ड का आंवटन किया गया ना ही मेरे हित में रजिस्ट्री कराई गई।** न्याय विभाग कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था एवं सहकारीता संस्था द्वारा जो सदस्यता सूचि /वरीयता सूचि प्रकाशित की गई है, उसमे मेरे नाम के आगे मुझे अपात्र दर्शाया गया है व कारण यह बताया गया है कि मैने संस्था में प्लाट पेटे मेरे द्वारा पूर्ण राशि का भुगतान नहीं किया गया है।

उपरोक्त संदर्भ मे मैं श्रीमान का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि मेरे द्वारा अभी तक संस्था द्वारा मांगी गई राशि का पूर्ण भुगतान किया गया है। जिसके साक्ष्य के रूप में संस्था मे जमा की गई राशि की रसीद की प्रतिलिपि सलग्न है। इसके बाद भी मेरे द्वारा संस्था से व्यक्तिगत रूप से पचासो बार जाकर सम्पर्क किया व उनसे निवेदन किया मुझे मेरे भुखण्ड संबंधी व रजिस्ट्री का कितना बकाया हिसाब है बताया जाए जिससे मैं संस्था में बकाया राशि जमा कर मेरे हित मे रजिस्ट्री करवाकर संस्था से प्लाट का कब्जा प्राप्त कर सकू। **जब मौखिक रूप से जवाब नहीं मिला तब मेरे द्वारा लिखित में संस्था से पूछा गया जिसके साक्ष्य के रूप में संस्था को लिखा गया पत्र दिनांक 06/06/2011 सलग्न है। किन्तु मुझे फिर भी संस्था द्वारा कोई जवाब आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ है।**

लिखित आवेदनो के बाद भी जवाब नही मिलने की दशा में मैने श्रीमान संयुक्त उपायुक्त सहकारीता विभाग इन्दौर संभाग को दिनांक 21.02.2012 को एक आवेदन दिया जिसमे उपरोक्त शिकायत दोहराई गई जिसकी छायाप्रति सलग्न है। इसके बाद मैनें श्रीमान आयुक्त महोदय इन्दौर को जनसुनवाई में दिनांक 05.06.2013 ,24.09.2013 एवं 25. 02.2014 को भी इस संबंध में शिकायती पत्र प्रस्तुत किया जिसकी छायाप्रति सलग्न है।

Scanned by TapScanner

इतना पत्र व्यवहार करने के बाद भी जब मुझे कहीं से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तब मेरे द्वारा संस्था को रजिस्ट्रर्ड ए.डी. से 4 बार आवेदन भेजा गया जिसकी प्राप्ति रसीद की छायाप्रति सलग्न है।

महोदय आज दिनांक तक संस्था द्वारा ना ही मुझे भूखण्ड आवंटन किया गया और ना ही मेरे हित मे रजिस्ट्री कराई गई। हमेशा यह कहकर टाल दिया गया कि अभी संस्था का कोर्ट केस चल रहा है इसलिये हम प्लाट नहीं दे सकते ना ही रजिस्ट्री करवा सकते है। जबकि मेरे बाद संस्था में नए बने सदस्यो की रजिस्ट्री मुझे बगैर सूचित किये करा दी गई व बगैर वरीयता के इनकी रजिस्ट्री व प्लाट आवंटन किया गया जो कि कतई न्यायोचित नहीं है।

कई बार आवेदन देने के उपरांत पहली बार मुझे प्रबंधक न्याय विभाग कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या. इन्दौर के द्वारा पत्र दिनांक 01.05.2015 प्राप्त हुआ जिसमे मुझे दिनांक 05.05.2015 को सभी मूल दस्तावेजो के साथ अपनी दावा आपत्ति प्रस्तुत करने को कहा गया । मेरे द्वारा निर्धारित समय पर पहुच कर अपनी दावा आपत्ति आवेदन सभी मूल दस्तावेजो के साथ प्रस्तुत किया गया। उक्त सुनवाई में सहकारी संस्था द्वारा अधिकृत अधिकारी एवं संस्था के लोग मौजूद थे। उनके द्वारा मुझसे कहा गया कि 15 दिवस की समयावधि के भीतर आपके प्रकरण पर विचार कर निराकरण कर दिया जावेगा । परन्तु आज दिनांक तक मुझे प्लाट का आवंटन नहीं किया गया।

महोदय मैं पिछले कई वर्षो से अपने प्लाट के लिये संस्था के और सरकारी विभागो के चक्कर लगा रहा हू। यह कहना गलत नहीं होगा कि मुझे प्लाट नहीं मिलने में सबसे बडा कारण सहाकारिता विभाग के अधिकारियों का ढीला रवैया एवं संस्था के प्रति अधिक झुकाव है।

आखिरकार इतनी कार्यवाही एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने के पश्चात मुझे इस संबंध में कार्यालय उपायक्त सहकारिता जिला इन्दौर का पत्र कमांक 1213 दिनांक 22.03.2017 एवं कार्यालय आयुक्त एवं पंजीयक सहकारी संस्थायें म.प्र. विन्ध्याचल भवन भोपाल पत्र कमांक 699 दिनांक 25.09.2017 प्राप्त हुआ ,जिसमें मेरे द्वारा पी.एम.ओ. पी.जी. पोरटल एवं सीएम हेल्पलाईन तथा कलेक्टर जनसुनवाई में की गई शिकायतों के प्रतिउत्तर में लिखा गया है कि संस्था द्वारा मुझसे राशि प्राप्त करने एवं हिसाब बताने में चुक हुई है।जिसके लिये शिकायतकर्ता को उत्तरदायी नहीं माना जा सकता है। पत्र की प्रतिलिपि सलग्न है। एवं संस्था को निर्देशित किया गया है कि वरीयता निर्धारण के दौरान मुझसे नियमानुसार बकाया राशि प्राप्त कर वरीयता सूचि में पात्र दर्शाया जाये।

इसके उपरांत भी जब मुझे प्लाट आवंटित नहीं किया गया तब मेरे द्वारा मजबूर होकर माननीय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम कंमाक–। जिलापीठ इंदौर में वाद प्रस्तुत किया गया । जिसमें माननीय न्यायालय ने मेरे पक्ष में आदेश दिनांक 11.06.2019 पारित करते हुये न्याय विभाग कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या. इन्दौर ,न्यायालय प्रांगण , एम.जी.रोड इन्दौर , इंदौर विकास प्राधिकरण 7 रेसकोर्स रोड इंदौर एवं उपायुक्त सहकारिता विभाग, श्रम शिविर जेल रोड इंदौर को ओदशित किया गया कि वे परिवादी यानि मैं गोविन्द राठौर पिता स्वं नंदकिशोर राठौर जो कि संस्था का वर्ष 1994 से सदस्य

Scanned by TapScanner

हू एवं मेरा सदस्यता कमांक 734 –ए है, से पूर्व में मेरे सदस्या ग्रहण करते समय संस्था द्वारा तय कीमत रू 100000/– अक्षरी रू (एक लाख मात्र) से बकाया राशि प्राप्त कर मेरे पक्ष में न्याय नगर एक्सटेंशन इंदौर में एक भूखण्ड आकार 40 बाय 50 फिट कुल 2000 वर्गफिट का रजिस्टर्ड विकयपत्र निष्पादित करावे।

उक्त आदेश के अनुपालन में मेरे द्वारा राशि रू 40000 (रू चालीस हजार मात्र) का भारतीय स्टेट बैंक का चेक कमांक 137010 दिनांक 05.08.2019 पदेन रिसीवर श्री संतोष जोशी सहकारिता विभाग को हस्तगत किया गया जिसकी पावति उनके द्वारा चेक क्लियर होने के पश्चात मुझे दी जानी थी। किन्तु उनके द्वारा उक्त चेक को बैंक में नही लगाया गया एवं तीन महिने के बाद मुझे उक्त चेक कमांक 137010 लौटा कर नया चेक कमांक 137011 लिया गया । मेरे द्वारा कई बार निवेदन करने के बावजूद आज दिनांक तक मुझे चेक की पावति नही दी गई है। और ना ही माननीय न्यायालय उपभोक्ता फोरम के आदेश का पालन किया गया। जबकि सहकारिता विभाग इंदौर द्वारा अपने पत्र दिनांक 22.03.2017 एव सहकारिता विभाग भोपाल द्वारा पत्र दिनांक 25.09.2017 के माध्यम से मुझे प्लाट आवंटन नही किये जाने हेतु संस्था को जिम्मेदार माना है।

महोदय उक्त प्रकरण की शिकायत में कई बार पूर्व में कलेक्टर आफिस, कमिश्नर आफिस, सहकारिता विभाग में मय दस्तावेजों के साथ कर चूका हू। किन्तु आज दिनांक तक मेरे प्रकरण का निराकरण नहीं किया गया । जबकि संस्था द्वारा अवैधानिक रूप से हम लोगों को प्लाट आंवटित किये बिना श्री राम बिल्डर्स 451, अपोलो टावर, एम जी रोड इंदौर के हित में 120 प्लाट की रजिस्ट्री करा दी गई।

महोदय मै एक मध्यमवर्गीय परिवार से हू। एवं मेरे द्वारा मेरा भविष्य सुरक्षित करने के प्रयोजन से संस्था पर विश्वास कर संपूर्ण राशि संस्था में जमा कराई गई है। कृपया मेरे आवेदन पर विचार कर शीघ्रताशीघ्र कार्यवाही करने की कृपा करे। इस आवेदन मे मेरे द्वारा समस्त कथन सत्य व सही है इस हेतु मैने समस्त आवेदनो /प्रमाणों/रसीदों की छायाप्रति पूर्व में प्रस्तुत कर चुका हूँ।

कृपया मुझे न्याय दिलाकर मुझे 40 बाय 50 का प्लाट आंवटित कराकर मेरे हित में रजिस्ट्री कर कब्जा दिलाने की कृपा करे। **आपसे न्याय की अपेक्षा के साथ।**

सलग्नः– उपरोक्तानुसार

धन्यवाद

दिनांक

प्रार्थी

05.01.2020

Govind Rathore

(गोविन्द राठौर)
124 बी सिल्वर आक्स कालोनी अन्नपूर्णा मेन रोड इन्दौर (म.प्र.)
मे. 9826455712
ई मेल govind.epfo2011@gmail.com

Scanned by TapScanner

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम क्र.–1,
जिलापीठ – इंदौर (म.प्र.)

प्रकरण क्र.682/16
संस्थापन दि.15.07.16

गोविन्द राठौर पिता स्व.श्री नंदकिशोर राठौर,
आयु – 52 वर्ष, वृत्ति – नौकरी,
निवासी – 150/8, समाजवादी इंदिरा नगर,
इंदौर म.प्र.

——परिवादी

// विरुद्ध //

1 न्याय विभाग कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित,
कार्यालय जिला न्यायालय प्रांगण,
इंदौर म.प्र.

2 इंदौर विकास प्राधिकरण,
7, रेसकोर्स रोड़, इंदौर–452 003

3 उपायुक्त सहकारिता विभाग,
श्रम शिविर, जेल रोड़, इंदौर।

——विपक्षीगण

पक्षकारों के लिये अधिवक्तागण]

परिवादी स्वयं उपस्थित।
विपक्षी क्रं.1 द्वारा श्री राकेश सोलंकी अधिवक्ता।
विपक्षी क्रं.2 द्वारा श्री राठौर अधिवक्ता।
विपक्षी क्रं.3 पूर्व से एकपक्षीय।

:: समक्ष ::

सत्येन्द्र जोशी : अध्यक्ष
कुंदनसिंह चौहान : सदस्य

–:: आदेश ::–

(आज दिनांक 11.06.2019 को पारित किया गया।)

अध्यक्ष अनुसार :–

(1) परिवादी द्वारा यह परिवाद उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 12 के अधीन विपक्षी से भूखण्ड की रजिस्ट्री करायी जाने, मानसिक, शारीरिक कष्ट की क्षतिपूर्ति, परिवाद व्यय व अन्य प्रतिकर प्राप्त करने के लिये प्रस्तुत की है।

Scanned by TapScanner

(2) परिवाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि परिवादी, विपक्षी क्र.1 संस्था का वर्ष 1994 से सदस्य होकर उसका सदस्यता क्रं.734–ए है। परिवादी द्वारा सदस्यता ग्रहण करते समय संस्था ने उसे 40 बाय 50 फिट का भूखण्ड मय रजिस्ट्री के 1,00,000/–रू. देना थे, जिसमें से परिवादी ने 50,000/–रू. जमा किये थे, परन्तु संस्था द्वारा परिवादी को न तो भूखण्ड का आवंटन किया गया एवं न ही उसके हित में रजिस्ट्री कराई गई। संस्था द्वारा जो सदस्यता/वरीयता सूची प्रकाशित की गई, उसमें परिवादी को अपात्र दर्शाया गया है व इस हेतु यह कारण बताया गया है कि परिवादी ने प्लॉट पेटे संपूर्ण राशि का भुगतान नहीं किया है। इसी संबंध में परिवादी को संस्था से पत्र क्रं.4603 दि.02.07.2016 प्राप्त हुआ है। परिवादी ने विपक्षी संस्था में अनेकों बार जाकर यह जानकारी मांगी गई कि भूखण्ड संबंधी व रजिस्ट्री का कितना बकाया हिसाब है, किंतु परिवादी द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। परिवादी ने इस संबंध में विपक्षी संस्था को पत्र दि.21.02.2012 एवं दि. 26.12.2011 भी प्रेषित किये गये। उक्त पत्रों का जवाब न मिलने पर परिवादी ने उपायुक्त सहकारिता विभाग, इंदौर को भी दि.21.02.2012 को एक आवेदन दिया तथा जनसुनवाई में दि.05.06.2013, दि.4.09.2013 एवं दि.25.02.2014 को भी शिकायत की गई। परिवादी को हमेशा यह कहकर टाला गया कि कोर्ट में केस चल रहा है, जबकि संस्था द्वारा नये सदस्यों को भूखण्ड आवंटित कर उनकी रजिस्ट्री बिना वरीयता के करवाई गई। संस्था द्वारा परिवादी को पत्र दि.01.05.2015 प्रेषित कर दि.05.05.2015 को सभी मूल दस्तावेजों के साथ दावा आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु कहा गया, जिस पर परिवादी ने समस्त दस्तावेजों के साथ आपत्ति प्रस्तुत की, जिस पर परिवादी को 15 दिवस में निराकरण का आश्वासन दिया गया, किंतु कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस प्रकार विपक्षीगण द्वारा परिवादी के प्रति सेवा में कमी की गई है। अतः परिवादी ने विपक्षीगण से वरीयता सूची में नाम जोड़कर उसे भूखण्ड आकार 40 बाय 50 फिट का कब्जा दिलाया जाकर रजिस्ट्री करायी जाने की प्रार्थना की है।

(3) विपक्षी क्रं.1 की ओर से जवाब प्रस्तुत कर खण्डन स्वरूप यह अभिकथित किया गया है कि संस्था द्वारा परिवादी को कभी–भी भूखण्ड आवंटित नहीं किया गया है। परिवादी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो कि उक्त भूखण्ड 1,00,000/–रू. में देना तय हुआ था। विपक्षी संस्था द्वारा वरीयता सूची प्रकाशित की गई थी, जिसमें परिवादी को अपात्र दर्शाया गया है एवं भूखण्ड पेटे समस्त राशि का भुगतान न करने की दशा में ही अपात्र घोषित किया गया है। परिवादी द्वारा राशि जमा न करने के कारण वह भूखण्ड प्राप्ति की पात्रता खो चुका है। परिवादी संस्था के बायलाज अनुसार एवं रजिस्ट्रार म.प्र.सहकारिता विभाग द्वारा जारी परिपत्र एवं आदेशानुसार जमा राशि प्राप्त करने का अधिकारी है। परिवादी द्वारा विपक्षी संस्था से कोई पत्राचार नहीं किया गया है। विपक्षी संस्था की

Scanned by TapScanner

भूमि इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहित की जा चुकी है। संस्था की भूमि के संबंध में विवाद इदौर विकास प्राधिकरण एवं संस्था के बीच विचाराधीन है। विपक्षी क्रं.2 द्वारा संस्था की भूमि को योजना क्रं.171 में समाविष्ट किया गया, जिस हेतु माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष उक्त योजना से मुक्त करवाने हेतु संस्था ने रिट याचिका प्रस्तुत की, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा संस्था की भूमि को मुक्त किया, किंतु विपक्षी क्रं.2 द्वारा उक्त आदेश को चुनौती देते हुए माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर के समक्ष एक रिट अपील प्रस्तुत की है, जो विचाराधीन है। ऐसी दशा में विपक्षी के पास कोई भी सुरक्षित भूखण्ड उपलब्ध नहीं है। परिवाद समयाबाधित होने से भी निरस्ती योग्य है। संस्था के सदस्यों की वरीयता सूची का निष्पादन सहकारिता विभाग इंदौर द्वारा किया गया है, जिसमें परिवादी अपात्र सदस्य होने से भूखण्ड की पात्रता खो चुका है। विपक्षी संस्था रजिस्ट्रार महोदय म.प्र.सहकारिता द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 02.09.2007 एवं दिनांक 02.072010 अनुसार भूखण्ड उपलब्ध न होने की दशा में सदस्य को जमा राशि ब्याज सहित वापस करने हेतु तत्पर है। अतः परिवाद सव्यय निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है।

(4) विपक्षी क्रं.2 की ओर से परिवाद का जवाब प्रस्तुत कर यह अभिवचनित किया गया है कि परिवादी को उसके विरूद्ध कोई वादकारण उत्पन्न नहीं हुआ है एवं न ही परिवादी द्वारा उसके विरूद्ध कोई सहायता प्रकरण में चाही गई है। परिवादी एवं विपक्षी क्रं.2 के मध्य कोई भी सेवाप्रदाता एवं सेवादाता अथवा भूखण्ड क्रय–विक्रय लीज पर देने का कोई करार अस्तित्व मैं नहीं है। विपक्षी क्रं.2 का विपक्षी क्रं.1 के मध्य कोई अनुबंध नहीं हुआ है। अतः विपक्षी संस्था अथवा उसके सदस्य विपक्षी क्रं.2 से कोई भूखण्ड प्राप्त करने या अन्य किसी सहायता को प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं। उनकी योजना क्रं.132 के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय म.प्र.जबलपुर द्वारा डब्ल्यू. ए. क्रं.1455/2007 में पारित आदेश दिनांक 24.04.2009 द्वारा अपास्त कर दी, किंतु प्राधिकारी को यह स्वतंत्रता दी कि वह चाहे तो नयी योजना निर्णय दिनांक से तीन माह में बना सकता है। तदनुसार प्राधिकारी संकल्प क्रं.82 दिनांक 10.06.2009 अनुसार माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा पारित उक्त आदेश अनुसार योजना क्रं.132 के स्थान पर ग्राम खजराना तहसील, जिला इंदौर की भूमियों के विकास बाबत अंगीकृत विकास योजना 2021 (मास्टर प्लान) के प्रावधानों अनुसार नई नगर विकास योजना क्रं.171 घोषित करने का निर्णय लिया तथा धारा 50 (2) के अंतर्गत अधिसूचना का प्रकाशन किया गया। संकल्प की प्रति एवं दैनिक समाचारपत्र दैनिक भास्कर तथा नई दुनिया तथा म.प्र.राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की छायाप्रति प्रस्तुत है। इसके बाद योजना क्रं.171 के संबंध में प्रारूप योजना तैयार की जाकर धारा 50–3 के अंतर्गत अधिसूचना का प्रकाशन म.प्र. राजपत्र एवं दैनिक समाचार पत्रों में दि.06.05.2011 को किया जा चुका है। अधिनियम के प्रावधानानुसार

Scanned by TapScanner

भाग 3–1 में दि.04.05.2012 को किया जा चुका है। तत्पश्चात योजना क्रं.171 में समाविष्ट भूमियों को भूअर्जन अधिनियम के प्रावधान अनुसार अर्जित करने की कार्यवाही गतिशील है। अतः वर्तमान स्थिति में संस्था की भूमि के संबंध में या विकसित भूखण्ड आवंटन के संबंध में कोई कथन किया जाना प्रीमेच्योर है। योजना क्रं.171 के लिये विपक्षी क्रं.2 की योजना में समाविष्ट भूमि के लिये अधिनियम में वर्णित प्रक्रिया अनुसार भूमि प्राप्त की जाना प्रस्तावित है। विपक्षी क्र.2 के यहां कोई राशि जमा नहीं करायी गई है, उसे बिना वजह प्रकरण में पक्षकार बनाया गया है।

(5) परिवादी की ओर से साक्ष्य प्रमाणार्थ स्वयं, योगेश सोलंकी तथा मयंक राठौर का शपथपत्र तथा दस्तावेजों की छायाप्रतियां प्रस्तुत की गई हैं।

(6) विपक्षी क्रं.1 की ओर से प्रभारी अधिकारी संतोष जोशी का साक्ष्य शपथपत्र तथा पेपर कटिंग की छायाप्रति प्रस्तुत की गई है।

(7) विपक्षी क्रं.2 की ओर से राजेश पारे का साक्ष्य शपथपत्र तथा नोटशीट एवं मध्य प्रदेश राजपत्र की छायाप्रति प्रस्तुत की गई है।

(8) परिवाद के निराकरण के लिये निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न होते हैं :–

1. क्या परिवाद अवधि बाधित है ?
2. क्या विपक्षीगण द्वारा परिवादी के प्रति सेवा में कमी की गई है ?
3. सहायता एवं व्यय ?

<u>विचारणीय प्रश्न क्रं.1 :–</u>

विपक्षी की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि परिवादी द्वारा परिवाद अत्यन्त विलम्ब से प्रस्तुत किया गया होने से परिवाद अवधि बाधित होने से निरस्ती योग्य है।

इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि विपक्षी द्वारा परिवादी से उक्त राशि प्राप्त करने के उपरांत उसे भूखण्ड आवंटित नहीं किया गया एवं न ही उसे जमा राशि वापस की गई। परिवादी द्वारा जमा की गई राशि वर्तमान में भी संस्था में ही जमा है। अतः ऐसी स्थिति में यह माना जावेगा कि परिवादी को वादकारण निरंतर प्राप्त है। अतः विपक्षी की उक्त आपत्ति अमान्य कर परिवाद को अवधि के भीतर होना ठहराया जाता है।

<u>विचारणीय प्रश्न क्रं.2 :–</u>

Scanned by TapScanner

(10) परिवादी की ओर से मुख्य रूप से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि परिवादी द्वारा सदस्यता ग्रहण करते समय संस्था ने उसे 40 बाय 50 फिट का भूखण्ड मय रजिस्ट्री के 1,00,000/–रू. देना तय हुआ था, जिसमें से परिवादी ने 50,000/–रू. जमा किये थे, परन्तु संस्था द्वारा परिवादी के न तो भूखण्ड का आवंटन किया गया एवं न ही उसके हित में रजिस्ट्री कराई गई। संस्था द्वारा जो सदस्यता/वरीयता सूची प्रकाशित की गई, उसमें परिवादी को अपात्र दर्शाया गया है। परिवादी द्वारा उक्त सम्बन्ध में सहकारिता विभाग तथा जिलाधीश इंदौर को भी शिकायत की गई, किंतु विपक्षीगण द्वारा उसे वर्तमान तक भूखण्ड प्रदान नहीं किया गया है।

(11) खण्डन में विपक्षी क्रं.1 की ओर से यह तर्क किया गया है कि संस्था द्वारा परिवादी को कभी–भी भूखण्ड आवंटित नहीं किया गया है। परिवादी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो कि उक्त भूखण्ड 1,00,000/–रू. में देना तय हुआ था। विपक्षी संस्था द्वारा वरीयता सूची प्रकाशित की गई थी, जिसमें परिवादी को अपात्र दर्शाया गया है एवं भूखण्ड पेटे समस्त राशि का भुगतान न करने की दशा में ही अपात्र घोषित किया गया है। परिवादी, संस्था से जमा राशि प्राप्त करने का अधिकारी है। विपक्षी संस्था की भूमि इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहित की जा चुकी है। संस्था की भूमि के संबंध में विवाद इंदौर विकास प्राधिकरण एवं संस्था के बीच विचाराधीन है।

(12) विपक्षी क्रं.2 की ओर से यह आपत्ति ली गई है कि विपक्षी क्रं.2 का विपक्षी क्रं.1 के मध्य कोई अनुबंध नहीं हुआ है। अतः विपक्षी संस्था अथवा उसके सदस्य विपक्षी क्रं.2 से कोई भूखण्ड प्राप्त करने या अन्य किसी सहायता को प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं। योजना क्रं.171 में समाविष्ट भूमियों को भूअर्जन अधिनियम के प्रावधन अनुसार अर्जित करने की कार्यवाही गतिशील है। योजना क्रं.171 के लिये विपक्षी क्रं.1 की योजना में समाविष्ट भूमि के लिये अधिनियम में वर्णित प्रक्रिया अनुसार भूमि प्राप्त की जाना प्रस्तावित है। अतः उसके विरूद्ध परिवाद निरस्त की जाने की प्रार्थना की है।

(13) विपक्षी संस्था की ओर से परिवादी द्वारा भूखण्ड पेटे सम्पूर्ण राशि संस्था में जमा नहीं किये जाने के आधार पर उसे व्यतिक्रमी सदस्य होना बताया गया है। विपक्षी संस्था की ओर से पत्र दि.02.07.2016 की प्रस्तुत प्रस्तुत की गई है, जिसमें यह उल्लेखित है कि सहकारिता विभाग के निर्देश एवं विभाग के अधिकारियों के मार्गदर्शन में संस्था के सदस्यों की वरीयता सूची का प्रकाशन किया गया था, जिसमें परिवादी द्वारा अपूर्ण राशि होने के कारण उसे अपात्र की श्रेणी में दर्शाया गया है। वरीयता सूची में परिवादी अनुक्रमांक 1882 पर उल्लेखित है। उक्त पत्र स्वयं विपक्षी संस्था द्वारा परिवादी को प्रेषित कर सहकारिता विभाग को प्रतिलिपि प्रेषित की है। उक्त

Scanned by TapScanner

परिवादी का नाम अनुक्रमांक 1882 पर होना व्यक्त किया है, किंतु उक्त पत्र के साथ ऐसी कोई वरीयता सूची भी प्रस्तुत नही की गई है, जिसमें परिवादी को अपात्र होना उल्लेखित किया गया है।

(14) विपक्षी संस्था द्वारा यह भी व्यक्त किया गया है कि परिवादी द्वारा भूखण्ड पेटे सम्पूर्ण राशि जमा न करने के आधार पर, परिवादी को व्यतिक्रमी सदस्य होना ठहराया गया है, किंतु विपक्षी की ओर से संपूर्ण प्रकरण में ऐसा कोई मांग पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिसमें परिवादी से बकाया राशि की मांग की गई हो। इसके विपरित परिवादी की ओर से प्रकरण में विपक्षी को प्रेषित पत्र दि.21.02.2012 की छायाप्रति प्रस्तुत की है, जिसमें परिवादी ने विपक्षी से बकाया राशि का हिसाब लिखित में मांगा गया है। परिवादी ने अपने परिवाद तथा अंतिम तर्क में भी यह व्यक्त किया है कि वह संस्था को नियमानुसार बकाया राशि का भुगतान करने हेतु तत्पर है।

(15) उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह प्रमाणित पाया जाता है कि विपक्षी संस्था द्वारा परिवादी को वर्णित भूखण्ड का रजिस्टर्ड विक्रयपत्र निष्पादित न कर उसके प्रति सेवा में त्रुटि की गई है।

<u>विचारणीय प्रश्न क्र.3 सहायता एवं व्यय :-</u>

(16) परिणामत: परिवाद स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि :-

1. विपक्षी संस्था, परिवादी से बकाया सम्पूर्ण राशि प्राप्त कर परिवादी के पक्ष में योजना क्र.171, इंदौर में एक भूखण्ड आकार 40 बाय 50 फिट कुल 2000 वर्गफिट का रजिस्टर्ड विक्रयपत्र निष्पादित करावे।
2. यदि उक्त योजना में भूखण्ड दिया जाना सम्भव न हो तो विपक्षी क्र.1 संस्था परिवादी को उक्त योजना की वर्तमान कलेक्टर गाईड लाईन के अनुसार उक्त आकार के भूखण्ड का मूल्य अदा करे।
3. विपक्षी क्र.1, परिवादी को हुए शारीरिक एवं मानसिक कष्ट हेतु 4,000/-रू. (चार हजार रू.मात्र) की राशि अदा करे।

सत्य-प्रतिलिपि

Sd/-
(सत्येन्द्र जोशी)
अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता फोरम क्र.1,
इन्दौर (म.प्र.)

Sd/-
(कुन्दनसिंह चौहान)
सदस्य
जिला उपभोक्ता फोरम, क्र.1

Scanned by TapScanner

कार्यालय उपायुक्त ,सहकारिता, जिला--इन्दौर

क्र./शिका./2017/ 1213 इन्दौर, दि.: 22/3/17

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक
न्यायविभाग कर्मचारी गृह निर्माण सह.संस्था मर्या.इन्दौर

विषय :– श्री गोविन्द राठौर 150/8 समाजवादी इंदिरानगर,इंदौर की पात्रता के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि श्री गोविंद राठौर द्वारा पी.एम.ओ.पी.जी एवं सी.एम.हेल्पलाईन तथा कलेक्टर जनसुनवाई में की गई शिकायतों के प्रतिउत्तर में आपके द्वारा अवगत कराया गया कि शिकायतकर्ता सदस्य द्वारा अपूर्ण राशि जमा करने के कारण उन्हे भूखण्ड की पात्रता नही आती है। जबकि शिकायतकर्ता श्री राठौर द्वारा राशि जमा करने एवं हिसाब बताने के संबंध में आपको दिनांक 06.06.2011 को प्रस्तुत पत्र तथा दिनांक 21.02.2012 को रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित पत्र की छायाप्रतियॉ समक्ष में प्रस्तुत की गई। जिससे प्रथम दृष्टया स्पष्ट होता है कि शिकायतकर्ता सदस्य से आपके द्वारा राशि प्राप्त करने में तथा हिसाब बताने में चूक की गई है। जिसके लिए शिकायतकर्ता को उत्तरदायी नही माना जा सकता है।

अतः वरीयता निर्धारण के दौरान शिकायतकर्ता से नियमानुसार बकाया राशि प्राप्त कर वरीयता सूची में पात्र दर्शाया जावे।

उपायुक्त
सहकारिता जिला–इन्दौर
इन्दौर, दि.: 22/3/17

पृ.क्र./शिका./2017/ 1213
प्रतिलिपि :–
1. श्री गोविंद राठौर,150/8 समाजवादीनगर इंदिरानगर इन्दौर की ओर सूचनार्थ।

उपायुक्त
सहकारिता जिला–इन्दौर

Scanned by TapScanner

कार्यालय आयुक्त एवं पंजीयक सहकारी संस्थायें म.प्र.विन्ध्याचल भवन, भोपाल

क्रमांक/गृह निर्माण/ 699

भोपाल दिनांक 25-9-17

प्रति,

उपायुक्त,

सहकारिता ~~विभाग~~

जिला - इंदौर

विषयः- श्री गोविन्द राठौर सदस्य न्याय विभाग कर्मचारी गृहनिर्माण सहकारी समिति इंदौर द्वारा प्रस्तुत विवरण दिनांक 25-09-17.

-----ooo----

उपरोक्त विषयान्तर्गत श्री गोविन्द राठौर सदस्य न्याय विभाग कर्मचारी गृहनिर्माण सहकारी समिति मर्यादित इंदौर के द्वारा शिकायत आवेदन प्रस्तुत कर संस्था द्वारा वरीयता सूची के उल्लंघन करते हुये तथा आवंटन की पात्रता होने के पश्चांत भी शिकायतकर्ता को प्लाट आवंटन एवं कब्जा नहीं दिलाया गया। इस संबंध में आपके पत्र दिनांक 22-03-17 की प्रति संलग्न है जिसमें संस्था द्वारा श्री गोविन्द राठौर को प्लाट आवंटन नहीं किये जाने संस्था को उत्तरदायी माना है।

आपको निर्देशित किया जाता है कि प्रस्तुत शिकायती विवरण में उल्लेखित तथ्यों के संबंध में वैधानिक विस्तृत परीक्षण करें तथा आपका संदर्भित पत्र दिनांक 22-03-17 के संबंध में संस्था के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही भी की जावे।

संयुक्त आयुक्त

सहकारिता मध्य-प्रदेश

क्रमांक/गृह निर्माण/ 699

भोपाल दिनांक 25-9-

प्रतिलिपि-

1 श्री गोविन्द रठौर, 124 बी सिल्वर आक्स कालोनी अन्नपूर्णा मेन रोड इन्दौर (म.प्र.)।

संयुक्त आयुक्त

सहकारिता मध्य-प्रदेश

Scanned by TapScanner

दिनांक 05/11/2019

प्रति.

श्रीमान प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सहकारिता विभाग, मंत्रालय,
भोपाल

विषय :- न्याय विभाग कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित,इंदौर से भूखंड आवंटित कराने एवं रजिस्ट्री करवाने बाबत .

सन्दर्भ :- जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम क्रमांक-1, जिलापीठ इंदौर मे दाखिल प्रकरण क्रमाक 682/16 दिनांक 15.07.2016 में फोरम व्दारा दिनाक 11.06.2019 को पारित आदेश .

-0-

महोदय,

मैं, गोविंद राठोर, उम्र 54 न्याय विभाग कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था, रिंग रोड, मालविया पेट्रोल पंप के पीछे, इंदौर का वर्ष 1994 से सदस्य हूँ। मैंने संस्था के विरुद्ध भूखंड का आवंटन नही किये जाने के कारण संदर्भ के अनुसार जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिरोषण फोरम में प्रकरण दाखिल किया था जिसका निर्णय निवेदिका के पक्ष में हुआ है (~~पारित आदेश की फोटो प्रति संलग्न है~~) .

यह कि, संस्था को भूखंड पेठे 50,000/- (अक्षरी रु. पचास हजार मात्र) की राशि पूर्वे में जमा की गई थी तथा इसी क्रम में भूमि पेठे बकाया राशी रु. 40,000/- स्टेट बैंक आफ इंडिया,ब्रांच गुमाश्ता नगर, इंदौर का चेक क्रमांक 137010 दिनांक 5-08-19 व्दारा जमा की गई हैं . जिसकी पावती प्रभारी अधिकारी, सहकारी विभाग, इंदौर से अपेक्षित है कृपया पावती दिलवाने, भूखंड आवंटित कराने एवं रजिस्ट्री करवाने के आदेश प्रसारित करने का कष्ट करे.

सहपत्र :- उपरोक्तानुसार

निवेदक
Govind Rathor
(गोविंद राठोर)
124 बी सिल्वरऔक्स कॉलोनी अन्नपूर्णा
मेनरोड, इंदौर 452009
मोबाइल नंबर 9826455712

05.11.19
निज सहायक
प्रमुख सचिव,
सहकारिता विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

Scanned by TapScanner

जनसुनवाई
दिनांक 18 जून 2019

प्रति,

श्रीमान जिलाधीश महोदय,
जिला इंदौर

विषय :- प्लाट का आवंटन ओर रजिस्ट्री कराने बावद ।

-0-

महोदय,

मैं, गोविंद राठोर, उम्र ५४ न्याय विभाग कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था, रिंग रोड, मालविया पेट्रोल पंप के पीछे, इंदौर की वर्ष १९९४ से सदस्य हूँ। यह कि, मुझे उक्त संस्था से प्लाट का आवंटन नहीं होने से मैंने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम क्रमांक-१, जिलापीठ इंदौर मे प्रकरण क्रमांक ६८२/१६ दिनांक १५/७/२०१६ को दाखिल किया जिसके संदर्भ मे मुझे उक्त फोरम व्दारा दिनांक ११.०६.२०१९ को आदेश पारित होकर मेरे पक्ष मे निर्णय हुआ है (प्रदर्श-१ अवलोकनार्थ) ।

२- यह कि, उक्त संस्था के पास वर्तमान मे (प्रदर्श-2 के अनुसार) 797 संख्या मे प्लाट रिक्त है फिर भी निवेदिका को प्लाट का आवंटन नहीं किया जा रहा है अत: कृपया निवेदिका को प्लाट का आवंटन ओर उसकी रजिस्ट्री कराने की दिशा मे कार्यवाही करने का कष्ट करे।

सहपत्र :- उपरोक्तानुसार

निवेदिका
Govind Rathor
(गोविंद राठोर)
१२४ बी सिल्वरऔक्स कॉलोनी अन्नपूर्णा
मेनरोड, इंदौर 452009 म.पी.
मोबाइल नंबर 9826455712

Scanned by TapScanner

प्रतिलिपि :-

(1) उपायुक्त, सहकारिता विभाग, श्रम शिविर, इंदौर की ओर उपरोक्त प्रदर्श-1 एवं 2 की प्रति के साथ आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

(२) रिसीवर, न्याय विभाग कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था, रिंग रोड, मालविया पेट्रोल पंप के पीछे, इंदौर की ओर उपरोक्त प्रदर्श-1 एवं 2 की प्रति के साथ आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

(3) आयुक्त, विकास प्राधिकरण, रेसकोर्स रोड, इंदौर की ओर उपरोक्त प्रदर्श-1 एवं 2 की प्रति के साथ आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

निवेदिका

(गोविंद राठोर)

१२४ बी सिल्वरऔक्स कॉलोनी अन्नपूर्णा

मेनरोड, इंदौर 452009 म.पी.

मोबाइल नंबर 9826455712

18/6/19

Received
18/06/2019
9993567160
(P.K. Jain)

Scanned by TapScanner

पंजीयन क्र. से. आ./आप. डी. आ./१४३ दिनांक २०-७-७२

अंश मिलने तथा सदस्यता प्रदान करने का

आवेदन - पत्र

न्याय–नगर–एक्टें.

श्रीमान अध्यक्ष महोदय,
न्याय विभाग कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित
इन्दौर, जिला–इन्दौर (म. प्र)

80 X 50

मैं गोविन्द राठौर
निवासी 150/4 समाजवादी इंदिरा नगर सिविल विभाग में दिनांक 19.8.80
कार्यरत होकर प्रस्तुत आवेदन-पत्र द्वारा निवेदन करता हूं कि मुझे गृह निर्माण सहकारी संस्था की सदस्यता प्रदान करने का कष्ट करें। मैंने प्लाट सम्बन्धी सम्पूर्ण शर्तें स्वस्थ मन मस्तिष्क से पढ़कर समझ ली है। वे मुझे मान्य द स्वीकार है तथा संस्था के समस्त नियम मान्य हैं।

१. पूरा नाम गोविन्द राठौर पिता श्री नन्दकिशोर राठौर
२. निवास स्थान 150/4 समाजवादी इन्दिरा नगर इन्दौर
३. व्यवसाय अथवा पद टाईपिस्ट
४. आयु (आवेदन-पत्र प्रस्तुती दिनांक को) 28 वर्ष
६. प्रवेश शुल्क रुपये पचास ५०/– फार्म शुल्क रुपये ५/– तथा अन्य रुपये १०/–
७. अंश क्रय करने हेतु रुपये ५०० – १ अंश/अंशों की सम्पूर्ण रकम नगद
८. अन्य किसी गृह निर्माण सहकारी संस्थाओं का सदस्य नहीं हूं। नहीं हूँ
९. मैं निम्न गृह निर्माण सहकारी संस्थाओं का सदस्य हूं:–
१. ....
२. ....

नामांकित उत्तराधिकारी व्यक्ति का नाम मथुरालाल राठौर

अन्य माहिती :–

मैं घोषित करता हूं कि मैं न्याय विभाग कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर के उपनियम पढ़े हैं तथा उनके प्रतिबन्धों के अनुसार मैं उक्त संस्था से व्यवहार करूंगा।

मैं यह भी घोषित करता हूं कि मेरे सम्बन्ध में उपरोक्त दी हुई माहिती जैसा कि मुझे ज्ञात है यथार्थ है। * अनावश्यक वाक्य काट दिये जावें।

हस्ताक्षर आवेदनकर्ता
30-10-84

हस्ताक्षर साक्षी
१. R. S. Rathore
२. ....

Scanned by TapScanner

❀ प्लाट सम्बन्धी शर्तें ❀

(१) शासकीय आदेश अथवा विशेष स्थिति में वर्तमान प्लाट का नम्बर परिवर्तित किया जा सकता है। यदि परिवर्तित प्लाट होल्डर को पसन्द नहीं हो तो वह अपनी सुविधा का दूसरा प्लाट [illegible] अथवा वह अपनी रकम वापिस ले सकता है।

30×40

(२) कार्नर के प्लाट की कीमत १०% अधिक होगी।

(३) कार्नर के प्लाट की साईज कम अधिक हो सकती है। साईज अधिक होने पर उसका अतिरिक्त मूल्य [illegible] होल्डर को अलग से देना होगा। साईज कम होने पर अनुपातिक रकम वापस लौटाई जावेगी।

(४) प्लाट होल्डर को अपनी किश्तें जमा कराना अनिवार्य होगा। किश्तें माह की [illegible] तारीख तक जमा करवाना अनिवार्य है। किश्त जमा न होने की स्थिति में प्लाट का [illegible] निरस्त किया जा सकेगा।

(५) प्लाट की रजिस्ट्री होने के बाद डेंड डायवर्शन फीस व अन्य जो भी शासकीय, अर्द्ध शासकीय एवं [illegible] प्रशासक का जो शुल्क सम्पत्तिकर आदि लगेगी उसकी जवाबदारी प्लाट होल्डर की स्वयं की होगी।

(६) आवेदन शुल्क एवं व्यवस्थापक शुल्क सदस्य को नियमानुसार देय होगा।

(७) यदि कोई प्लाट होल्डर संस्था से प्लाट नहीं लेना चाहता है तो उसे इस आशय का [illegible] संस्था को देना होगा। कार्य समिति से निर्णय लेने के पश्चात जमा रकम में से ५ प्रतिशत [illegible] प्लाट होल्डर को तीन माह में वापस लौटा दी जावेगी।

(८) प्लाट की रजिस्ट्री डायवर्शन, इलेक्ट्री [illegible] का व्यय प्लाट होल्डर को वहन करना होगा। [illegible] रजिस्ट्री संस्था अपनी सुविधानुसार करवावेगी।

(९) किसी भी विवाद के विषय में संस्था की कार्यकारिणी का निर्णय एवं प्लाट होल्डर [illegible] बन्धनकारक होगा।

(१०) आवेदनकर्ता को अपने निवास का प्रमाणपत्र लगाना अनिवार्य होगा।

Govind [illegible]

हस्ताक्षर आवेदनकर्ता

30-[illegible]

पंजीयन क्र. डी आर./आय.डी.आर./१४३ दि. २७-७-७२

कार्यालय–न्याय विभाग कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर

घोषणा–पत्र

मैं सदस्य [illegible] राठौर पिता श्री [illegible] राठौर

आयु 29 एवं निवासी 56/6 समाजवादी इन्दिरा नगर इन्दौर

घोषित करता हूं कि मध्य प्रदेश राज्य में मेरे स्वयं के नाम से, मेरी पत्नी के नाम से अथवा मेरे आश्रितों के नाम से कोई मकान अथवा भूखण्ड नहीं है।

साक्ष्य

१. K S Rathore

२. ....

हस्ताक्षर आवेदनकर्ता

Comand Rathore

3-10-9[illegible]

आर पी. 54
R.P.-54

भारतीय डाक विभाग
DEPARTMENT OF POSTS-INDIA

प्राप्ति स्वीकृति ACKNOWLEDGEMENT

अनावश्यक को काट दिया जाए / Strike out if not relevant.

रजिस्ट्री - पत्र / पार्सल प्राप्त हुआ
Received Registered Letter / Parcel

क्रमांक/No.	तारीख/Dated	का/of

- बीमे का मूल्य रुपयों में
- Insured for Rupees

पाने वाले आयुक्त आयुक्त
Addressed to कार्या. संयुक्त आयुक्त सहकारिता एवं संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारी संस्था इन्दौर संभाग इन्दौर म.प्र.

वितरण डाकघर की तारीख-मोहर
Date Stamp of Office of delivery

हस्ताक्षर और नाम / Signature and Name

संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं संभाग इन्दौर

आर.पी. 54
R.P.-54

भारतीय डाक विभाग
DEPARTMENT OF POSTS, INDIA

प्राप्ति स्वीकृति / ACKNOWLEDGEMENT

अनावश्यक को काट दिया जाए / Strike out if not relevant.

बीमा/रजिस्ट्री-पत्र/पार्सल प्राप्त हुआ
Received Insured/Registered Letter/Parcel

क्रमांक/No.	तारीख/Dated	का/of

- बीमे का मूल्य रुपयों में
- Insured for Rupees

पाने वाले श्रीमान अध्यक्ष महोदय,
Addressed to नगर निगम कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित,
को/On जिला-न्यायालय प्रांगण इन्दौर म.प्र.

वितरण डाकघर की तारीख-मोहर
Date Stamp of office of delivery

हस्ताक्षर और नाम/Signature and Name

23-2-12

Scanned by TapScanner

डाक सेवार्थ
On Postal Service

गोविन्द राठौर
150/8 रूमालवारी इमिदरा
नगर मालवी मन्दीर रोड
इन्दौर म.प्र.
9826455712

पिन / PIN 452002

प्रेषक डाकघर की नाम-मोहर
Name - Stamp or Office of Posting.

डाक सेवार्थ
On Postal Service

गोविन्द राठौर
150/8 रूमालवारी इमिदरा
नगर इन्दौर (मालवीमन्दिर
रोड

पिन/PIN 452002

प्रेषक डाकघर की नाम-मोहर
Name-Stamp of office of posting

Mamta Printers, Bpl. - 2011

Scanned by TapScanner

स्थापना २५-७-१९७२ पंजीयन क. १४३

न्याय विभाग कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित

कार्यालय-जिला न्यायालय प्रांगण, इन्दौर

रसीद

क. 873 दिनांक 31-3-95

श्री/श्रीमति/कुमारी गोविन्द चन्द्रकिशोर राठौर

से निम्नानुसार धनराशि सधन्यवाद प्राप्त हुई।

अनु.	खाता	रुपये	पैसे
१.	फार्म शुल्क/सदस्यता शुल्क	[illegible]	[illegible]
२.	अंश राशि	200	00
३.	प्लाट पेटे 50×80	12000	00
४.	डेव्हलपमेंट चार्जेस	—	—
५.	अन्य	70	00
६.		—	—
योग रु. [illegible]		122[illegible]	00

ह. जमाकर्ता S. Rathore

ह. प्राप्तकर्ता 31-3-95

स्थापना २५-७-१९७२ पंजीयन क. १४३

न्याय विभाग कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित

कार्यालय-जिला न्यायालय प्रांगण, इन्दौर

रसीद

क. 2584 दिनांक 10-6-96

श्री/श्रीमती/कुमारी गोविंद चन्द्रकिशोर राठौर

से निम्नानुसार धनराशि सधन्यवाद प्राप्त हुई। 172/3

अनु.	खाता 634	रुपये	पैसे
१.	फार्म शुल्क/सदस्यता शुल्क		
२.	अंश राशि		
३.	प्लाट पेटे 40×50	15000	00
४.	डेव्हलपमेंट चार्जेस [illegible]		
५.	अन्य No. 599601/20-5-96		
६.	[illegible]	8	00
योग [illegible] हजार चार [illegible]		15008	00

ह. जमाकर्ता S. Rathore

ह. प्राप्तकर्ता

स्थापना २५-७-१९७२ पंजीयन क. १४३

न्याय विभाग कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित

कार्यालय-जिला न्यायालय प्रांगण, इन्दौर

रसीद

क. 4379 दिनांक 10.6.95

श्री/श्रीमती/कुमारी गोविन्द चन्द्र किशोर राठौर

से निम्नानुसार धनराशि सधन्यवाद प्राप्त हुई। 172/3

अनु.	खाता 634	रुपये	पैसे
१.	सदस्यता शुल्क	—	—
२.	अंश राशि	—	—
३.	प्लाट पेटे 40×50	15,000	00
४.	डेव्हलपमेंट चार्जेस	—	—
५.	फार्म शुल्क	—	—
६.	अन्य	—	—
योग रु. पन्द्रह हजार रु. मात्र		15,000	00

ह. जमाकर्ता S. Rathore

ह. प्राप्तकर्ता

Scanned by TapScanner

स्थापना २१-७-१९७२ पंजीयन क्र.

न्याय विभाग कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित

कार्यालय-जिला न्यायालय प्रांगण, इन्दौर.

रसीद

क्र. 3675 दिनांक 17/11/06

श्री/श्रीमती/कुमारी गोविन्द राठौर 172/3

से निम्नानुसार धनराशि सधन्यवाद प्राप्त हुई।

अनु	खाता 734	रुपये	पैसे
१.	फार्म शुल्क / सदस्यता शुल्क		
२.	अंश राशि		
३.	प्लाट पेटे	5000	= 00
४.	डेव्हलपमेंट चार्जेस		
५	अन्य		
६.			
	योग पांच हजार रुपये	5000	= 00

ह. जमाकर्ता

G. Rathore

ह. प्राप्तकर्ता

Scanned by TapScanner

जन सुनवाई

प्रति,

श्रीमान आयुक्त महोदय

आयुक्त कार्यालय

इन्दौर म.प्र.

दिनांक 24.09.2013

विषय – शिकायत दिनांक 05.06.2013 आवक कमाक 1482 दिनांक 07.06.2013 श्रीमान आयुक्त महोदय, आयुक्त कार्यालय को दी गई थी, शिकायत का निराकरण नहीं होने बाबद न्याय विभाग कर्मचारी गृह निर्माण सह. संस्था मर्यादित न्याय नगर एक्सटेंशन, इन्दौर द्वारा तय की गयी कीमत व साईज 40 फिट बाय 50 फिट का प्लाट नहीं मिलने बाबद।

निवेदन है कि मैंने दिनांक 05.06.2013 को श्रीमान आयुक्त महोदय को उनके कार्यालय में न्याय नगर संस्था द्वारा मुझे प्लाट नहीं दिये जाने के संबंध में शिकायत पत्र मय संस्था के दस्तावेजों की छायाप्रति सलंग्न कर प्रेषित किये थे ।

किन्तु आज दिनांक 24.09.2013 तक मेरी शिकायत का कोई निराकरण नहीं हुआ है ना ही मुझे आपके कार्यालय से मेरे आवेदन पत्र पर की गई कार्यवाही से अवगत ही कराया है ।

कृपया मेरे आवेदन पत्र पर कार्यवाही कर मुझे संस्था से प्लाट दिलाकर मेरे हित में रजिस्ट्री करवाकर कब्जा दिलाया जावे, आपके कार्यालय द्वारा की गयी कार्यवाही से मुझ प्रार्थी को अवगत कराने की कृपा करें ।

सलंग्न –दिनांक 05.06.2013
पत्र की छायाप्रति ।

Govind Rathore

(गोविंद राठौर पिता स्व. श्रीनंदकिशोर राठौर)
150/8, समाजवादी इन्दिरा नगर, इन्दौर म.प्र.
मोबाईल नं. 98264 55712

24.9.13

Scanned by TapScanner

जन सुनवाई

प्रति, दिनांक 24.09.2013

श्रीमान आयुक्त महोदय
आयुक्त कार्यालय
इन्दौर म.प्र.

विषय – शिकायत दिनांक 05.06.2013 आवक कमाक 1482 दिनांक 07.06.2013 श्रीमान आयुक्त महोदय, आयुक्त कार्यालय को दी गई थी, शिकायत का निराकरण नहीं होने बाबद न्याय विभाग कर्मचारी गृह निर्माण सह. संस्था मर्यादित न्याय नगर एक्सटेंशन, इन्दौर द्वारा तय की गयी कीमत व साईज 40 फिट बाय 50 फिट का प्लाट नहीं मिलने बाबद।

निवेदन है कि मैंने दिनांक 05.06.2013 को श्रीमान आयुक्त महोदय को उनके कार्यालय में न्याय नगर संस्था द्वारा मुझे प्लाट नहीं दिये जाने के संबंध में शिकायत पत्र मय संस्था के दस्तावेजों की छायाप्रति सलंग्न कर प्रेषित किये थे ।

किन्तु आज दिनांक 24.09.2013 तक मेरी शिकायत का कोई निराकरण नहीं हुआ है ना ही मुझे आपके कार्यालय से मेरे आवेदन पत्र पर की गई कार्यवाही से अवगत ही कराया है ।

कृपया मेरे आवेदन पत्र पर कार्यवाही कर मुझे संस्था से प्लाट दिलाकर मेरे हित में रजिस्ट्री करवाकर कब्जा दिलाया जावे, आपके कार्यालय द्वारा की गयी कार्यवाही से मुझ प्रार्थी को अवगत कराने की कृपा करें ।

सलग्न –दिनांक 05.06.2013
पत्र की छायाप्रति ।

Govind Rathore

(गोविंद राठौर पिता स्व. श्रीनंदकिशोर राठौर)
150/8, समाजवादी इन्दिरा नगर, इन्दौर म.प्र.
मोबाईल नं. 98264 55712

Scanned by TapScanner

27-2-13

दिनांक 27-2-2013

प्रति,

श्रीमान जिलाधीश महोदय / उपआयुक्त सहकारिता
कलेक्टर कार्यालय जिला इन्दौर
इन्दौर म.प्र.

विषय :- न्याय विभाग सहकारी संस्था से जमीन ना मिलने बाबद ।

महोदय,

उपरोक्त विषय में मैं प्रार्थी गोविन्द राठौर पिता श्री नंदकिशोरजी राठौर, निवासी - 150/8, समाजवादी इंदिरा नगर, इन्दौर (म.प्र.) निवेदन करता हूँ कि मैंने सन् 1994 में न्याय विभाग कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर(म.प्र.) में संस्था का सदस्य बनने हेतु संस्था में 50,000/- रूपये (अक्षरी रूपये पचास हजार) जमा किये थे, परन्तु आज दिनांक 27-02-13 तक मुझे संस्था की ओर से प्लाट आवंटित नहीं किया गया है । इसके अलावा सन् 1994 में तय प्लाट की साईज 40 बाय 50 थी और उसकी कीमत रूपये 1,00,000/- (अक्षरी रूपये एक लाख) थी । जिस मुझे तीन गुना कीमत में और प्लाट का साईज 25 बाय 50 करके संस्था देने की बात की थी । इसके अतिरिक्त मेरा सदस्यता क्रमांक 734 है, परन्तु मुझसे बाद वाले सदस्यों की रजिस्ट्री मुझे बिना सूचित किये करा दी गई ।

इस संदर्भ में मैं सहकारिता विभाग के उपायुक्त श्री दीक्षितजी से दिनांक 6/7/2010 को मिला था एवं उन्हें एक

अविरत ...2

DCC
Shw
Ramraj
27/2/13
27/2/13

लिखित आवेदन भी दिया था, जिसकी छायाप्रति मैं इस आवेदन के साथ संलग्न कर रहा हूँ । उस समय श्री दीक्षितजी ने मुझे शीघ्रताशीघ्र मेरी समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया था, परन्तु आज दिनांक 27-02-13 तक इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई और मुझे कोई सम्बन्धित सूचना नहीं दी गई ।

महोदय, मैं एक मध्यमवर्गीय परिवार का होकर मैंने अपने भविष्य को सुरक्षित करने हेतु संस्था पर विश्वास किया था। कृपया आप मेरे इस आवेदन पर शीघ्रताशीघ्र कार्यवाही करें । इस आवेदन में लिखित मेरे समस्त कथन सत्य हैं, इस हेतु मैं समस्त प्रमाण पत्रों की छायाप्रति इस आवेदन के साथ संलग्न कर रहा हूं।

धन्यवाद !

संलग्न :-

1. जमा की गई किश्तों की रसीद की छायाप्रति ।
2. सदस्यता प्रमाण पत्र की छायाप्रति ।
3. दिनांक 6/7/2010 को दिये गये आवेदन की छायाप्रति ।
4. उक्त प्लाट से संबंधित आय.जी. को की गई शिकायत दिनांक 18/1/2009 की छायाप्रति ।
5. सदस्यता-सूची की छायाप्रति।
6. संस्था को दिए आवेदन की छायाप्रति।
7. संयुक्त उप-आयुक्त इन्दौर को दिए आवेदन की छायाप्रति।

प्रार्थी,
Govind Rathore
गोविन्द राठौर पिता नंदकिशोरजी राठौर,
150/3, समाजवादी इंदिरा नगर,
इन्दौर (मं.प्र.)
मोबाइल - 9826455712

Scanned by TapScanner

Date 5-6-2013

प्रति,

श्रीमान आयुक्त महोदय,
आयुक्त कार्यालय
इन्दौर म.प्र.

विषय : न्याय विभाग कर्मचारी गृह निर्माण सह. संस्था मर्यादित न्याय नगर एक्सटेंशन, इन्दौर द्वारा नय किमत व साईज 40 फिट बाय 50 फिट का प्लाट नही देने बाबद।

महोदय,

निवेदन है कि मैं गोविन्द राठौर पिता स्व. श्री नंदकिशोर राठौर, निवासी – 150/8, समाजवादी इन्दिरा नगर, इन्दौर का निवासी हूं। मैंने वर्ष 1994 में न्याय विभाग कर्मचारी गृह निर्माण सह. संस्था मर्यादित न्याय.नगर एक्सटेंशन, इन्दौर में संस्था का सदस्य बना था । मेरे द्वारा सदस्यता ग्रहण करते समय संस्था ने मुझे 40 फिट बाय 50 फिट का भूखण्ड मय रजिस्ट्री के रूपये 1,00,000/– (अक्षरी रूपये एक लाख मात्र). देना था, जिसमें से मैंने रूपये 50,000/– (अक्षरी रूपये पचास हजार मात्र) जमा किये थे, परंतु संस्था ने मुझे आज दिनांक 5-6-13 तक भूखण्ड का आवंटन नही किया न ही मेरे हित में रजिस्ट्री कराई गई है, मैने विगत वर्षो में संस्था के पचासों चक्कर लगाये कि मुझे मेरा प्लाट दिजिये व मेरे हित में रजिस्ट्री कराकर संस्था द्वारा मुझे प्लाट का कब्जा दिया जाये। इस हेतु मैने संस्था में शेष बची हुई राशि जमा कराने हेतु भी संस्था को लिखित आवेदन दिया किन्तु संस्था ने इसका कोई हिसाब व जवाब नही देने से मैने पुनः रजिस्टर्ड ए.डी. से संस्था व सहकारीता विभाग को आवेदन दिया किन्तु संस्था ने आज दिनांक तक कोई जवाब नही दिया है।

Oth 5-6-13

1482 / 7-6-13 आवेदन प्रा.

संस्था ने हनेशा यह कहकर टाल दिया कि अभी संस्था का कोर्ट केस चल रहा है, इसलिये हम प्लाट नही दे सकते हैं, न ही रजिस्ट्री करा सकते हैं । जबकि मेरे बाद संस्था में नए बने मेम्बरों की रजिस्ट्री मुझे बगैर सूचित किये करा दी व बगैर वरियता के इनकी रजिस्ट्री व प्लाट का आवंटन किया गया है, इसकी शिकायत मैने जिलाधीश इन्दौर/ सहकारिता उप आयुक्त इन्दौर/ अध्यक्ष महोदय न्याय विभाग (संस्था)/ श्रीमान अध्यक्ष महोदय, इन्दौर विकास प्राधिकरण, इन्दौर/ श्रीमान थाना प्रभारी, एम.जी. रोड़ इन्दौर/ थाना प्रभारी, सेन्ट्रल कोतवाली, इन्दौर/ श्रीमान थाना प्रभारी, खजराना, इन्दौर एवं अनेको जगह जनसुनवाई में भी की है, इन शिकायतों की छायाप्रति संलग्न है।

महोदय, मैं एक मध्यमवर्गीय परिवार का सदस्य होकर मैंने अपने भविष्य को सुरक्षित करने हेतु संस्था पर विश्वास कर अपनी जीवनभर की पूंजी रूपये 50,000/– जमा किये थे। कृपया आप मेरे इस आवेदन पर विचार कर शीघ्रताशीघ्र कार्यवाही करें। इस आवेदन में लिखित मेरे समस्त कथन सत्य व सही है, इस हेतु मैं समस्त आवेदनों की छायाप्रति इस आवेदन के साथ संलग्न कर रहा हूं।

आशा है, महोदय मुझे न्याय दिलाकर मुझे संस्था से मेरा प्लाट आवंटित कराकर मेरे हित में रजिस्ट्री कर कब्जा दिलाने का निर्देश देंगे।

यही विनय है। धन्यवाद।

संलग्न : सूची

प्रार्थी,
Govind Rathore
(गोविंद राठौर पिता स्व. श्री नंदकिशोर राठौर)
150/8, समाजवादी इन्दिरा नगर, इन्दौर
मो.नं. 98264–55712

Scanned by TapScanner

(3)

संलग्न छायाप्रति की सूची

01. श्रीमान जिलाधीश महोदय, इन्दौर

02. श्रीमान सहकारिता उपायुक्त महोदय,
सहकारिता विभाग, इन्दौर

03. श्रीमान अध्यक्ष महोदय,
न्याय विभाग कर्मचारी गृह निर्माण सह. संस्था मर्यादित
न्याय नगर एक्सटेंशन, इन्दौर

04. श्रीमान अध्यक्ष महोदय,
न्याय विभाग कर्मचारी गृह निर्माण सह. संस्था मर्यादित
द्वारा दिया गया आवेदन पत्र की प्रति

05. श्रीमान अध्यक्ष महोदय,
इन्दौर विकास प्राधिकरण इन्दौर द्वारा भेजा गया पत्र वर्ष 2011

06. श्रीमान अध्यक्ष महोदय,
इन्दौर विकास प्राधिकरण इन्दौर द्वारा भेजा गया आवेदन की प्रति

07. संस्था की वरीयता सूची वर्ष 2013

08. कार्यालय संयुक्त आयुक्त महोदय
सहकारिता विभाग, इन्दौर

09. श्रीमान सी.एस.पी. महोदय
सी.एस.पी. कार्यालय,
थाना सेन्ट्रल कोतवाली, इन्दौर

10. श्रीमान थाना प्रभारी महोदय,
थाना खजराना, इन्दौर

11. श्रीमान थाना प्रभारी महोदय,
थाना एम.जी. रोड़, इन्दौर

12. श्रीमान थाना प्रभारी महोदय,
थाना सेन्ट्रल कोतवाली, इन्दौर

13. संस्था में प्लाट पेटे जमा राशि रूपये 50,000/- की रसीद की प्रति

Scanned by TapScanner

प्रति,

श्रीमान अध्यक्ष महोदय
न्याय विभाग कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित
इन्दौर, जिला इन्दौर म0प्र0

विषय :- न्याय नगर एक्सटेंशन इन्दौर में 40×50 का भूखण्ड देने बाबत एवम आवंटन पत्र जारी करने एवं मेरे पक्ष में रजिस्ट्री कराने बाबत आवेदन -

महोदय,

निवेदन है कि मैं गोविन्द राठौर पिता श्री नंदकिशोर राठौर निवासी 150/8 समाजवादी इंदिरा नगर इन्दौर में निवास करता हूं । मैंने आपकी संस्था न्याय विभाग कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित (न्याय नगर एक्सटेंशन) में 40×50 के भूखण्ड हेतु दिनांक 30/10/1994 को सदस्यता ग्रहण की थी व न्याय नगर एक्सटेंशन में 40×50 के भूखण्ड हेतु रूपये नीचे तालिये अनुसार रसीद से जमा किये है जो निम्न है :—

रसीद नंबर	दिनांक	राशि
873	31/3/95	15,510-00
2584	10/6/96	15,000-00
4379	10/6/98	15,000-00
3675	17/11/2006	5,000-00
खाता क्रमांक- 734.	173/3 से 1	

अतः श्रीमान से निवेदन है कि उक्त विषयांतर्गत भूखण्ड का प्रार्थी को आवंटन करने की कृपा करे एवं मेरे हित में विक्रयपत्र का निष्पादन करने की कृपा करे ।

इन्दौर
दिनांक 6/6/2011

भवदीय
Govind Rathore
(गोविन्द पिता नंदकिशोर राठौर)

Scanned by TapScanner

(1)

इंदौर दिनांक 21 / 02 / 12

प्रति,

श्रीमान अध्यक्ष महोदय,
न्याय विभाग कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित
जिला न्यायालय प्रागण, इन्दौर म0प्र0

विषय :— न्याय नगर एक्सटेंशन इन्दौर में 40 बाय 50 के भूखण्ड का आवंटन पत्र जारी करने एवं रजिस्ट्री करने में मेरे द्वारा बकाया राशि का बकाया हिसाब लिखित पत्र में देने बाबद।

संदर्भ:— दिनांक 26 / 12 / 11 को पूर्व में दिया गया आवेदन पत्र के संदर्भ में।

महोदय,

निवेदन है कि मैं गोविन्द राठौर पिता श्री नन्दकिशोर राठौर निवासी— 150 / 6 समाजवादी इन्दिरा नगर, इन्दौर मे निवास करता हूँ। मैंने आपकी संस्था न्याय विभाग कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित (न्याय नगर एक्सटेंशन) में 40 बाय 50 के भुखण्ड हेतू दिनांक 30 / 10 / 1994 को सदस्यता ग्रहण की थी व न्याय नगर एक्सटेंशन में 40 बाय 50 के भुखण्ड हेतू रूपये निम्न रसीदानुसार जमा किये जो इस प्रकार है—

रसीद नम्बर	दिनांक	राशि (रूपये)
873	31 / 3 / 1995	15510 / —
2584	10 / 6 / 1996	15000 / —
4379	10 / 6 / 1998	15000 / —
3675	17 / 11 / 2006	5000 / —

खाता क्रमांक 734, 173 / 3 है।

शेष..... 2 पर

Scanned by TapScanner

इस पत्र के पहले भी में आपसे कई बार व्यक्तिगत रूप से मिला व मुझे संस्था में कितनी राशि जमा कराना है वो हिसाब देने के बाबद कई बार कहा किंतु आपने मुझे हर बार टाल दिया। इसके उपरांत मैंने आपको दिनांक 26/12/11 को हिसाब देने बाबद एक पत्र रजिस्टर्ड ए.डी. से भेजा था किंतु संस्था की ओर से मुझे आज दिनांक तक कोई जवाब या हिसाब नहीं भेजा गया है ।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि उक्त विषयांतर्गत भूखण्ड की रजिस्ट्री कराने के लिए मुझे कितनी राशि और संस्था जमा कराना है उसका हिसाब मुझे लिखित में भेजे, जिससे मै संस्था में संस्था द्वारा बताई गई बकाया राशि जमा कराकर संस्था से भूखण्ड की रजिस्ट्री अपने हित में कराके कब्जा प्राप्त कर सकू।

भवदीय

Govind Rathor

(गोविन्द राठौर)

प्रतिलिपीः-

संयुक्त आयुक्त

सहाकरिता इन्दौर संभाग, इन्दौर म0प्र0

22/12

प्राप्तकर्ता
कार्या. उप-आयुक्त
सहकारिता, जिला-इन्दौर

Scanned by TapScanner

प्रति,

दिनांक 24-2-2014

श्रीमान संयुक्त आयुक्त सहकारिता, सहकारी संस्थाएं इन्दौर संभाग, इन्दौर म.प्र.

विषय : वरियता सूची में नाम जोड़ने बाबद।

इन्दौर विकास प्राधिकारी इन्दौर का पत्र क्र. 9290 भू–अर्जन/2013 के संदर्भ में।

महोदय,

निवेदन है कि मैं गोविन्द राठौर पिता स्व. श्री नन्दकिशोर राठौर, पता 150/8, समाजवादी इन्दिरा नगर, इन्दौर में निवास करता विभाग कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या. इन्दौर का स सदस्यता क्र. 734–ए है।

श्रीमान से निवेदन है कि आपके विभाग से जो गृह निर्माण सहकारी संस्था की वरियता सूची इन्दौर इन्दौर को भेजी जा रही है, उसमें मेरा नाम जोड़ने की कृपा कर मुझ इ.वि.प्रा. से जो पत्र प्राप्त हुआ है, उसमें मुझे मेरे प्लाट स्के.फीट के स्थान पर विकसित भूखण्ड का 50 प्रतिशत निर्णय प्राधिकरण द्वारा लिया गया है।

महोदय मेरा परिवार बड़ा होने के कारण प्लाट इसलिए महोदय मुझे 40 बाय 50 कुल 2000 स्के.फीट का ही भूखण्ड दिलाने की कृपा करें। इस हेतु इन्दौर विकास प्राधिकारी द्वारा जो विकास शुल्क निर्धारित किया गया है वह मैं देने को तत्पर हूँ। मेरे द्वारा संस्था में भूमि पेटे समस्त राशि जमा की जा चुकी है।

क्रमशः ...2...पर

Scanned by TapScanner

महोदय, इन्दौर विकास प्राधिकरण में सदस्यों की ... शीघ्र प्रस्तुत करने हेतु उप आयुक्त सहकारिता विभाग, सहकारिता ... इन्दौर को पत्र प्रेषित किया जा चुका है। अतः आपसे विनती है कि ... कृपया करके मेरे नाम वरियता सूची में जोड़कर विकास प्राधिकरण ... भेजने का कष्ट करें।

भवदीय,

Govind Rathore

गोविन्द पिता स्व. श्री नन्दकिशोर

राठौर, 150/8, समाजवादी ...

इन्दौर

प्रतिलिपि :–

उपायुक्त महोदय, सहकारिता, सहकारी संस्थायें, इन्दौर संभाग इन्दौर (म.प्र.)

संलग्न :–

इन्दौर विकास प्राधिकरण का लेटर क्रमांक 9290.
दिनांक 20-12-2013

24/02/14
प्राप्तकर्ता
संयुक्त पंजीयक
सहकारी संस्थायें, इन्दौर संभाग

22-2-14

Scanned by TapScanner

दिनांक : 03/11/2010

प्रति,

संयुक्त आयुक्त
सहकारिता ~~आयुक्त~~ महोदय,

इन्दौर संभाग,

इन्दौर (म.प्र.)

विषय :- **न्याय विभाग सहकारी संस्था से जमीन ना मिलने बाबद ।**

महोदय,

उपरोक्त विषय में मैं प्रार्थी गोविन्द राठौर पिता श्री नंदकिशोरजी राठौर, निवासी - 150/8, समाजवादी इंदिरा नगर, इन्दौर (म.प्र.) निवेदन करता हूँ कि मैंने सन् 1994 में न्याय विभाग कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर(म.प्र.) में संस्था का सदस्य बनने हेतु संस्था में 50,000/- रूपये (अक्षरी रूपये पचास हजार) जमा किये थे, परन्तु आज दिनांक 03/11/2010 तक मुझे संस्था की ओर से प्लाट आवंटित नहीं किया गया है । इसके अलावा सन् 1994 में तय प्लाट की साईज 40 बाय 50 थी और उसकी कीमत रूपये 1,00,000/- (अक्षरी रूपये एक लाख) थी । जिसे मुझे आज तीन गुना कीमत में और प्लाट का साईज 25 बाय 50 करके संस्था देने को कह रही है । इसके अतिरिक्त मेरा सदस्यता क्रमांक 734 है, परन्तु मुझसे बाद वाले सदस्यों की रजिस्ट्री मुझे बिना सूचित किये करा दी गई ।

इस संदर्भ में मैं सहकारिता विभाग के उपायुक्त श्री दीक्षितजी से दिनांक 6/7/2010 को मिला था एवं उन्हें एक

अविरत ..2..

Recd
JR Coop
03/11/10

Scanned by TapScanner

लिखित आवेदन भी दिया था, जिसकी छायाप्रति मैं इस आवेदन के साथ संलग्न कर रहा हूँ । उस समय श्री दीक्षितजी ने मुझे शीघ्रताशीघ्र मेरी समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया था, परन्तु आज दिनांक 03/11/2010 तक इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई और मुझे कोई सम्बन्धित सूचना नहीं दी गई ।

महोदय, .मैं एक मध्यमवर्गीय परिवार का होकर मैंने अपने भविष्य को सुरक्षित करने हेतु संस्था पर विश्वास किया था। कृपया आप मेरे इस आवेदन पर शीघ्रताशीघ्र कार्यवाही करें । इस आवेदन में लिखित मेरे समस्त कथन सत्य हैं, इस हेतु मैं समस्त प्रमाण पत्रों की छायाप्रति इस आवेदन के साथ संलग्न कर रहा हूं।

धन्यवाद !

संलग्न :-

1. जमा की गई किश्तों की रसीद की छायाप्रति ।
2. सदस्यता प्रमाण पत्र की छायाप्रति ।
3. दिनांक 6/7/2010 को दिये गये आवेदन की छायाप्रति ।
4. उक्त प्लाट से संबंधित आय.जी. को की गई शिकायत दिनांक 18/7/2009 की छायाप्रति ।

प्रार्थी,

Govind Rathor

गोविन्द राठौर पिता नंदकिशोरजी राठौर,
150/8, समाजवादी इंदिरा नगर,
इन्दौर (म.प्र.)
मोबाइल - 9826455712

Scanned by TapScanner

(14)

न्याय विभाग कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या. इन्दौर

कार्यालय - जिला न्यायालय प्रांगण, इन्दौर

अनुक्रमांक	स.द. क्र.	नाम व पिता का नाम	सदस्य का पता	स.द. द्वारा जमा राशि	स. द. दिनांक	अंश पूंजी	कॉलोनी का नाम	आबंटन एवं पंजीयन	पंजीयन क्रमांक दिनांक
1	1	श्रीमती [illegible] पति [illegible] जोशी	1/24, जोशीपुरा, इन्दौर	[illegible]000	02.08.71	500	न्याय नगर मेन	15 = 1500 S.f.	
[illegible]	15	श्री जयप्रकाश पिता [illegible] कश्यप	71 [illegible]पुरा, इन्दौर	15000	21.07.71	100	न्याय नगर मेन	149 = 1500 S.f.	
3	48	श्री रमेशचन्द्र पिता [illegible] सोलंकी	103, पंचम की फेल, इंदौर	15000	16.08.71	100	न्याय नगर मेन	101 = 1500 S.f.	
4	58	श्री [illegible] पिता [illegible] शर्मा	498, एम.जी. रोड, इंदौर	15000	20.08.71	500	न्याय नगर मेन	161 = 1500 S.f.	
5	[illegible]	श्री चम्पालाल पिता [illegible] सिंह	4/2, काछी मोहल्ला, इन्दौर	15000	25.08.71	500	न्याय नगर मेन	155 = 1500 S.f.	
6	[illegible]	श्री दयाराम पिता [illegible]	[illegible]/1, [illegible] कालोनी, मुसाखेड़ी, इंदौर	15000	25.08.71	100	न्याय नगर मेन	70 = 1500 S.f.	
[illegible]	[illegible]	श्री उमाशंकर पिता [illegible] मेहता	डी.1, [illegible].आर.पी. लाईन, इंदौर	14000	2[illegible].08.71	100	न्याय नगर मेन	152 = 1500 S.f.	
8	[illegible]	श्री [illegible] पिता [illegible]	[illegible] रोड, इन्दौर	15000	[illegible].09.71	100	न्याय नगर मेन	167 = 1500 S.f.	
9	76	श्री महेशचन्द्र पिता [illegible]	एस.टी.एस. कम्पाउण्ड क्वार्टर नं.5, इंदौर	15000	[illegible].12.71	500	न्याय नगर मेन	158 = 1500 S.f.	
10	[illegible]7	श्री नाथूलाल पिता [illegible]	9, [illegible]गंज गली नं. 4, इंदौर	15000	[illegible]8.12.71	500	न्याय नगर मेन	11 = 1500 S.f.	
11	79	श्री प्रभाकर पिता [illegible]	1-ए, स्नेह नगर, इन्दौर	15000	18.12.71	500	न्याय नगर मेन	165 = 1500 S.f.	
12	83	श्री [illegible] पिता [illegible] गुप्ता	334/4, [illegible] नगर, इंदौर	15000	05.01.72	100	न्याय नगर मेन	52 = 1500 S.f.	
13	86	श्री प्रभाकर पिता [illegible]	31बी, नर्मदानगर के पीछे उमेश नगर, इंदौर	30000	05.01.72	500	न्याय नगर एक्सटेंशन		
14	95	श्री राकेश पिता [illegible] मलिक	672, एम.जी. रोड, इंदौर	15000	01.03.72	100	न्याय नगर मेन	187 = 1500 S.f.	
15	97	श्री रामअवतार पिता [illegible] महाले	लक्ष्मीबाई नगर [illegible], इंदौर	15000	10.03.72	500	न्याय नगर मेन		
16	118	श्री [illegible] पिता [illegible] देसाई	डी-47, [illegible] कॉम्प्लेक्स, इंदौर	15000	10.03.7[illegible]	100	न्याय नगर मेन	19 = 1500 S.f.	
17	12[illegible]	श्री दिनेशचन्द्र [illegible] जोशी	72, [illegible] बाजार, इन्दौर	[illegible]000	21.08.8[illegible]	100	न्याय नगर मेन	[illegible] = 1500 S.f.	
18	122	श्री [illegible] उपाध्याय	69, सांईनाथ कॉलोनी, इंदौर	[illegible]	21.08.8[illegible]	500	न्याय नगर मेन	159 = 1500 S.f.	
19	123	श्री प्रसन्न कुमार पिता [illegible] शर्मा	16, नंदलालपुरा चौराहा, इंदौर	15000	21.08.81	100	न्याय नगर मेन	165-ई = 1500 S.f.	
20	132	श्रीमती [illegible]	13[illegible], आदर्श ग्राम [illegible], इंदौर	15000	21.08.8[illegible]	100	न्याय नगर मेन	115 = 1500 S.f.	
[illegible]	135	श्रीमती [illegible] चौहान	37[illegible], [illegible] नगर, इन्दौर	15000	21.8.8[illegible]	100	न्याय नगर मेन	151 = 1500 S.f.	

प्रमाणित प्रति

सहायक लोक सूचना अधिकारी
[illegible]

(15)

1342	730-ए	श्री सुरेन्द्र पिता ... सिंह ठाकुर	97, पत्रकार कॉलोनी, इन्दौर	45000	30.03.95	500	न्याय नगर एक्सटेंशन		
1343	731-ए	श्री ... पिता ...लाल जैन	50, ..., इन्दौर	20000	30.03.95	500	न्याय नगर एक्सटेंशन		
1344	732-ए	श्री ... पिता ... चौधरी	आई.टी.आई. ... नगर, इन्दौर	125000	30.03.95	500	न्याय नगर एक्सटेंशन	90 ... = 2000 S.f.	1-A735/11.11.02
1345	733-ए	श्री ...	... 102, एफ. 40, अनूप नगर, इन्दौर	100000	31.03.95	500	न्याय नगर एक्सटेंशन	174 सी = 1500 S.f.	1-A696/7.6.04
1346	734-ए	श्री गोविंद पिता ...सिंह राठौर	150, ... इन्दिरा नगर, इन्दौर	50000	31.03.95	500	न्याय नगर एक्सटेंशन		
1347	735-ए	श्री ... पिता ... बाजपेयी	41/4, ..., इन्दौर	125000	31.03.95	500	न्याय नगर एक्सटेंशन	144 सी = 2000 S.f.	1-A1788/28.9.01
1348	736-ए	श्री डॉ. नटवर पिता ...नारायण शारदा	115, ..., इन्दौर	125000	31.03.95	500	न्याय नगर एक्सटेंशन	199 ए सी = 2000 S.f.	1-A1295/30.3.02
1349	738-ए	श्री संजयकुमार पिता एस.के. शर्मा	एम.जी. रोड, इन्दौर	125000	03.04.95	500	न्याय नगर एक्सटेंशन	264 सी = 2000 S.f.	1A341/2.7.01
1350	739-ए	श्री प्रेमनारायण पिता लक्ष्मीनारायण ...	90, अग्रसेन नगर ... रोड, इन्दौर	155000	03.04.95	500	न्याय नगर एक्सटेंशन	179 सी = 2000 S.f.	1-A515/7.6.01
1351	741-ए	श्री विजय पिता एन.के. सक्सेना	एम.जी. रोड, इन्दौर	45000	03.04.95	500	न्याय नगर एक्सटेंशन		
1352	742-ए	श्री मनोहरलाल पिता मुकलाल राय	एम.जी. रोड, इन्दौर	20000	03.04.95	500	न्याय नगर एक्सटेंशन		
1353	743-ए	श्री सुरेन्द्रपाल पिता प्रतापसिंह राठौर	रेल्वे पुलिस लाईन, इन्दौर	100000	03.04.95	500	न्याय नगर एक्सटेंशन	431 सी = 1500 S.f.	1-A908/28.3.01
1354	744-ए	श्रीमती ज्योति पति ...वंत जोशी	50, लोकमान्य नगर, इन्दौर	45000	03.04.95	500	न्याय नगर एक्सटेंशन		
1355	745-ए	कु. राखी पिता ... गुप्ता	एल.एच. 146, स्कीम नं. 54, इन्दौर	35000	03.04.95	500	न्याय नगर एक्सटेंशन		
1356	746-ए	श्री अशोक पिता ... जोशी	सी ... 50, ... स्कीम नं. 54, इन्दौर	30000	03.04.95	500	न्याय नगर एक्सटेंशन		
1357	747-ए	श्री सुरेशचन्द्र पिता दुर्गाप्रसाद व्यास	डी ... 1, ... कॉम्प्लेक्स, इन्दौर	67500	04.04.95	500	न्याय नगर एक्सटेंशन		
1358	751-ए	श्री राजेश पिता नानक राम	... 2, ... कॉलोनी, इन्दौर	60000	04.04.95	500	न्याय नगर एक्सटेंशन		
1359	752-ए	श्री कमल अर्जुनदास	..., पत्रकार कॉलोनी, इन्दौर	45000	04.04.95	500	न्याय नगर एक्सटेंशन		
1360	754-ए	श्रीमती सिन्धु पति विजय जैन	.../2, ...गंज, इन्दौर	40000	04.04.95	500	न्याय नगर एक्सटेंशन		
1361	755-ए	श्री सुरेश पिता गेंदालाल वर्मा	67/1, ... बाजार, इन्दौर	45000	05.04.95	500	न्याय नगर एक्सटेंशन		
1362	756-ए	श्री केशव पिता बालकिशन ...	109, ... राजकुमार मिल, इन्दौर	10000	06.04.95	500	न्याय नगर एक्सटेंशन		
1363	757-ए	श्री संदीप सिंह पिता जगदेवसिंह	एल.एच. 269, स्कीम नं. 54, इन्दौर	45000	06.04.95	500	न्याय नगर एक्सटेंशन		
1364	758-ए	श्रीमती इंदिरा पिता राजेन्द्र ...	एम.जी. रोड, इन्दौर	125000	06.04.95	500	न्याय नगर एक्सटेंशन	143 सी = 2000 S.f.	1-A1789/28.9.01
1365	760-ए	श्री दीपक प्रभाकर ...	35/95 इन्द्रपुरी कॉलोनी, इन्दौर	20000	06.04.95	500	न्याय नगर एक्सटेंशन		
1366	[illegible]	[illegible]	[illegible]	245000	06.04.95	500	न्याय नगर एक्सटेंशन	... सी = 2000 S.f.	1-A.../...2.07
1367	[illegible]	[illegible]	..., ... नगर, इन्दौर	45000	06.04.95	500	न्याय नगर एक्सटेंशन		
1368	[illegible]	श्रीमती ...	... लाईन, इन्दौर	15000	07.04.95	500	न्याय नगर एक्सटेंशन		
1369	[illegible]	[illegible]	... रोड, इन्दौर	100000	07.04.95	500	न्याय नगर एक्सटेंशन	... सी = 1500 S.f.	[illegible]
1370	[illegible]	[illegible]	[illegible]	100000	07.04.95	500	न्याय नगर एक्सटेंशन	302 सी = 2000 S.f.	1-A.../...2.07
1371	[illegible]	[illegible]	[illegible]	45000	07.04.95	500	न्याय नगर एक्सटेंशन		

प्रमाणित प्रति

सहायक लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय उपायुक्त, सहकारिता
जिला-इंदौर

Scanned by TapScanner

मध्यप्रदेश शासन
जन शिकायत निवारण विभाग
वल्लभ भवन, मंत्रालय

जन शिकायत क्रमांक - 10102793 भोपाल, दिनांक – 24-12-2016

प्रति,

नाम	गोविन्द राठौरराठौर
पता	१५०/८ समाजवादी इंदिरा नगर इंदौर(इन्दौर)
जिला	इन्दौर
दूरभाष क्रमांक	9826455712

विषय :- शिकायत क्रमांक १००७७७४० का निराकरण नहीं होने बाबत

महोदय/महोदया,

" ऑनलाइन प्राप्त " आपके आवेदन पत्र / शिकायत के आधार पर आपकी शिकायत को " - सहकारिता विभाग " के अंतर्गत एम. पी. समाधान पोर्टल पर दर्ज कर लिया गया है जिसका जन शिकायत क्रमांक PGR-10102793 है।

आप एम. पी. समाधान पोर्टल **www.samadhan.mp.gov.in** पर जन शिकायत क्रमांक दर्ज कर उसकी अद्यतन अथवा निराकरण की स्थिति ज्ञात कर सकते है। इसके अलावा आप सम्बंधित विभाग/कार्यालय के नोडल अधिकारी से भी सम्पर्क कर सकते हैं।

भवदीय

उपसचिव/सं.संचालक/अ.सचिव/अनु.अध.
जन शिकायत निवारण विभाग
भोपाल (म.प्र.)

Scanned by TapScanner